

06 $\frac{2}{25}$

पत्रावली पेशा वकीलवादी छपण वकीलवादी
ने पूर्व में अंतिम डिडी जारी करने हेतु
समिति जाहीर की। मैंने TAR DAR से प्राप्त
बंटवारा प्राप्त व पत्रावली का अवलोकन
किया। अतः TAR DAR से प्राप्त बंटवारा
प्राप्त के अनुसार अंतिम डिडी जारी
की जाती है निर्णय व डिडी प्रयुक्त है

टंकण कर राश मि लल रहै १५२ दादरा मराठ
का निर्माण की पालन हेतु तस्वीर जारी है
पत्रावली फंसल शुमार होकर नमकट से
कम होकर दाखिल द्युतर है। निष्कर्ष.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़—सीकर

बड़जलास:- मोनिका सामोर, R.A.S.

प्रकरण संख्या:-85/2023/दावा

मोहनराम पुत्र मंगलाराम आयु 68 साल जाति रैगर निवासी नौसाल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

—वादी

बनाम

1. बुद्धाराम
2. चेताराम
3. महेन्द्र
4. गीता देवी
5. फूली देवी
6. सुगनी देवी
7. पांची देवी पत्नि सुरजा
8. मोहनलाल दत्तक पुत्र दाना
9. गीता देवी
10. बिमला देवी
11. संतोष देवी
12. भंवरी देवी पत्नि दाना
13. मदनलाल पुत्र जीवन
14. बलराम उर्फ बंशी पुत्र स्व. शिशपाल
15. सोहनी देवी पत्नि स्व. शिशपाल
16. लादूराम पुत्र स्व. माना
17. सुप्यार देवी पुत्री स्व. माना

समस्त जाति बलाई निवासीगण नौसाल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

18. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा करड़ तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।
19. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, रिकार्ड दूरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

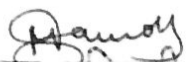
उपस्थिति:

1. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत वकील वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

निर्णय

दिनांक:-06.02.2024

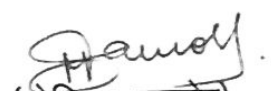
1. वाद में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सैं है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.1000 है० खसरा नम्बर 240 रकबा 1.2600 है० खसरा नम्बर 240/721 रकबा 1.9000 है० खसरा नम्बर 242


उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

रकबा 2.7900 है० कुल किता 6 कुल रकबा 6.1600 है० वाके ग्राम नौसाल पटवार हल्का कांकरा तह० दातारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 की संयुक्त खाते की शामलाती कृषि भूमि है। जिसमें वादी का 4/25 हक हिस्सा यानि 0.9856 है० भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा शेष भूमि जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 की खातेदारीशुदा है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कानूनी रूप से विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 ने उक्त वर्णित कृषि भूमि का बाहमी बंटवारा मौके पर कर रखा है और उक्त बाहमी बंटवारा के मुताबिक मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादी ने बाहमी बंटवारा में प्राप्त अपने हिस्से की भूमि पर चारों तरफ पुख्ता नींव सींव कायम कर रखी है तथा अपने हिस्से की भूमि में पशुओं के बांधने का बाडा आदि बना कर वादी निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा वर्तमान मौके व रिकार्ड के अनुसार किया जाकर वादी के 4/25 हक हिस्से की भूमि की अलग अलग सींव नींव व अलग अलग लगान कायम किया जाकर वादी का उपरोक्त अनुसार कृषि भूमि का बंटवारा किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमियों में बाहमी बंटवारा के अनुसार वादी ने अपनी उक्त हिस्से की कृषि भूमि में पेड पौधे लगा कर खाद आदि डाल कर उपजाउ बना लिया है। प्रतिवादीगण काफी तेज तर्रार व चालाक किस्म के व्यक्ति हैं जो अब वादी के हिस्से में आयी भूमि को हडपने की कुचेष्टा में लगे हुए हैं। जिसके चलते अन्य प्रतिवादीगण से साज कर वादी के हिस्से में आयी भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने कुउद्देश्य में सफल हो गये तो वादी को इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है, इसलिए प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि, जो कि वादी के हिस्से में आयी है, उसके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा डालने, खुरद बुर्द करने बेचान करने किसी प्रकार से हस्तांतरण करने मौका व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से तथा वादी को उसके हिस्से से बलात बेदखल कर कब्जा करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वादी को वाद कारण अर्सा करीब 5-7 रोज पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि से वादी को बलात बेदखल करने की धमकी दिये जाने तथा बंटवारा करवाने से साफ इन्कार होने के कारण उत्पन्न हुआ तब से वाद कारण निरन्तर रूप से जारी है। अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 237, 238, 239, 240, 240/721, 242 कुल किता 6 कुल रकबा 6.1600 है० वाके ग्राम नौसाल पटवार हल्का कांकरा तह० दातारामगढ जिला सीकर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत् बंटवारा किया जाकर मौके पर कब्जेनुसार व खातेदारी अनुसार अलग से एकांकी रूप से

- कायम कर अलग अलग खाता कब्जा व लगान एवं सीवें नींव निर्धारित की जावें। उक्त सम्पदा से वादीगण को बेदखल करने, खुर्द बुर्द करने, बेचान करने, किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।
2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी के अधिवक्ता द्वारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाने पर सहमति जाहिर की। वकील वादी द्वारा बंटवारा बाबत सहमति प्रकट किये जाने से वाद विवादक कायम नहीं किये जाकर वकील वादी के निवेदन व सहमति पर वाद को प्रारम्भिक रूप से डिक्री कर तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ। वकील वादी ने मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव हेतु अंतिम डिक्री जारी करने हेतु सहमति जाहिर की। बहस सुनी गयी।
3. सुनी गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। पत्रावली एवं बंटवारा प्रस्ताव के समग्र अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में वर्णित खसरा नम्बरों का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने की सहमति देते हुये अपने-अपने हिस्सा का भी बंटवारा करने का अनुतोष चाहा है वकील उभयपक्ष की सहमति से वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौके का बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुकूल पाये जाने से उपरोक्त विवेचनानुसार प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में तथ्यात्मक व विधिक दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं होने से वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक डिक्री इन्द्राज करे व बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मोनिका सामरा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास मोनिका सामोर, आर.ए.एस

मोहनराम

बनाम

बुद्धाराम व अन्य

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा

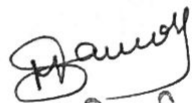
मुकदमा नं० 85/दावा सन् 2023

निर्णय

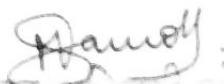
दिनांक: 06/02/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु मोनिका सामोर आर.ए.एस. बहाजरी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि तहसीलदार दांतारामगढ के पत्रांक/2024/भू0अ0/3664 दिनांक 11.07.2024 के द्वारा प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	मोहनराम पुत्र मंगलाराम जाति रैगर सा. देह खातेदार	240/721/1	0.7500	चाही 4	11.36
		किता-01	0.75		11.36

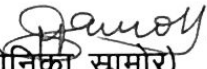

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

2	गीता देवी पुत्री सुरजा हि० 67 / 1970 गीता देवी पुत्री दाना हि० 469 / 9850 चेतराम पुत्र सुरजा हि० 67 / 1970 पांची देवी पुत्री सुरजा हि० 67 / 1970 फूली देवी पुत्री सुरजा हि० 67 / 1970 बुद्धाराम पुत्र सुरजा हि० 67 / 1970 बंशीधर पुत्र शिशपाल हि० 469 / 19700 विमला पुत्री दाना हि० 469 / 9850 भवरी पत्नि दाना हि० 469 / 9850 मदनलाल पुत्र जीवण हि० 1173 / 4925 राहिन BRKGB करड महेन्द्र पुत्र सुरजा हि० 67 / 1970 मोहनलाल दत्तक पुत्र दाना हि० 469 / 9850 लादूराम पुत्र माना हि० 469 / 3940 सुगनी पुत्री सुरजा हि० 67 / 1970 सन्तोष देवी पुत्री दाना हि० 469 / 9850 सुप्यार पुत्री माना हि० 469 / 3940 सोहनी पत्नि शिशपाल हि० 469 / 19700	240 / 721 / 2 242	1.15 2.97	चाही 4 चाही 4	17.14 41.85
	किता- 2	3.94		58.99	
3	गीता देवी पुत्री सुरजा हि० 1 / 35 गीता देवी पुत्री दाना हि० 1 / 25 चेतराम पुत्र सुरजा हि० 1 / 35 पांची देवी पुत्री सुरजा हि० 1 / 35 फूली देवी पुत्री सुरजा हि० 1 / 35 बुद्धाराम पुत्र सुरजा हि० 1 / 35 बंशीधर पुत्र शिशपाल हि० 1 / 10 विमला देवी पुत्री दाना हि० 1 / 25 भवरी देवी पत्नि दाना हि० 1 / 25 मदनलाल पुत्र जीवण हि० 1 / 5 राहिन BRKGB करड महेन्द्र पुत्र सुरजा हि० 1 / 35 मोहनलाल दत्तक पुत्र दाना हि० 1 / 25 लादूराम पुत्र माना हि० 1 / 10 सुगनी पुत्री सुरजा हि० 1 / 35 सन्तोष देवी पुत्री दाना हि० 1 / 25 सुप्यार पुत्री माना हि० 1 / 10 सोहनी पत्नि शिशपाल हि० 1 / 10 समस्त जाति बलाई सा. देह खातेदार	237 238 239 240	0.01 0.10 0.10 1.26	गै.मु.चा. बा. 4 बा. 4 चाही 4	 0.20 0.20 18.90
	कुल किता 2	1.47		19.30	


 उपजन्तु जमिनी, बलाराज

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
...					
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
					
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	2	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।


 (मोनि कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़